

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय वीर गैद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर

जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

www.govtcollegepakhanjore.in, E-mail : govtcollegepakhanjore2@gmail.com

क्रमांक/ ३४५ /स्था./अति.व्या./2025

पखांजूर, दिनांक 19/06/2025

// अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक/574/आउशि/राज.स्था./2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 06.07.2024, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-54/स्था./2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20.06.2024 के आदेशानुसार अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अंतर्गत शासकीय वीर गैद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर में योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 30.06.2025 सायं 5.00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक या वाहक के हस्ते या स्वयं महाविद्यालय के कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाइट www.govtcollegepakhanjore.in से अवलोकन किया जा सकता है।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखान हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

रिक्त पदों की संख्या			
क्रमांक	विषय	प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
1.	अंग्रेजी	0	1
2.	गणित	0	1
3.	भौतिक शास्त्र	0	1

* रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन संभव है।

टीप :- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

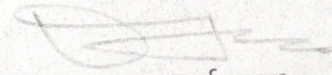
शर्त :-

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल/पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक 30.06.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गए आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
03. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 04.07.2025 को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जावेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 08.07.2025 तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 09.07.2025 को किया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय-सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्रमांक	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1.	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये।	400/-	300/-
2.	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30,000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3.	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये।	500/-	350/-
4.	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
5.	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीड़ा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/- प्रतिदिन (40,000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- प्रतिदिन (30,000/- प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य शासकीय वीर गैद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर जिला-उत्तर बस्तर कांगेर एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें ।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे ।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी ।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियाँ, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे ।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे ।



प्राचार्य

शासकीय वीर गैद सिंह महाविद्यालय
पखांजूर, जिला-उ.ब. कांगेर